CHHATTISGARH LAW JOURNAL

An International Bi-annual Refereed/ Peer Reviewed Research Journal

ISSN 2394-5281

Impact Factor (IIJIF):2.142

VOLUME VI **ISSUE-I** **2020**

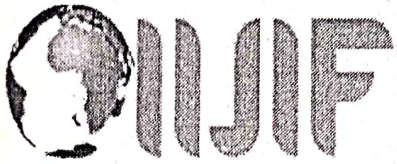

Indexed in
International Innovative Journal Impact Factor(IIJIF)
&
Directory of Research Journals Indexing(DRJI)

Chief Editor
Dr. Suresh Mani Tripathi
Assistant Professor (Law)
Chhattisgarh Academy of Adminstration , Raipur
Chhattisgarh

CHHATTISGARH LAW JOURNAL (CLJ)

An International Bi-annual Refereed/ Peer Reviewed Research Journal

ISSN 2394-5281

UME-VI ISSUE-I(2020) Date of Publication 29-03-2020

The relation between Law and Morality: a Critical Study in Indian Context
Debabrata Basu *(1-11)*

Crimes Against Elderly Persons: A Criminological Enquiry
Dr.P.K Shukla *(12-20)*

Indian Banking Industry & Artificial Intelligence: The Road ahead
Divya Singh Rathor *(21-29)*

Vicarious Criminal Liability: A Critical Analysis *Manoj Kumar* *(30-41)*

The Concept of Witness and Witness Protection *Dr Shashikant Tripathi* *(42-49)*

Protection of Privacy in Digital Age *Pranshul Pathak* *(50-56)*

Cryptocurrency: A New Currency Regime *Neha Mishra* *(57-64)*

छत्तीसगढ़ जनजाति समाज का सामाजिक– आर्थिक न्याय का संवैधानिक एवं विधिक संरक्षण : एक अध्ययन
ब्रजेश कुमार *(65 -70)*

National and International Legal Framework on Refugee Protection
Dr. D.N. Parajuli *(71-89)*

आई.बी.सी. 2016 एवं एन.सी.एल.टी. की बड़े एन.पी.ए की वसूली में भूमिका
डा० शशि कान्त सिंह *(90-99)*

Covid-19: Indian Federalism's Litmus Test *Kaanchi Ahuja* *(100-112)*

छत्तीसगढ़ जनजाति समाज का सामाजिक–आर्थिक न्याय का संवैधानिक एवं विधिक संरक्षण : एक अध्ययन

ब्रजेश कुमार*

छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है। इनकी अपनी विषिष्ट संस्कृति, बोली, रहन–सहन है। यहां कुल 42 जनजातियां पाई जाती है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसख्या का 30.6 प्रतिषत जनजातीय समुदाय निवास करती है। यहां का प्रमुख जनजाति गोंड है, इसके अतिरिक्त कॅवर,बिंझवार, भैना, भतरा, उरांव, मुंडा, कमार, हल्बा, बैगा, इत्यादि काफी जनसंख्या में है। प्रदेष के जन्नजातीयों का अधिकतर जनसंख्या पहाड़ी वनाच्छादित क्षेत्र एवं दुर्गम अंचलो में निवास करती है। आदिवासी समाज की बाहुल्य जनसंख्या की आर्थिक स्थिति वनों पर आधारित है। जनजातीय समुदाय को भारतीय संविधान में 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है। यद्यपी इसे आदिवासी, वनवासी, इत्यादि नामो से भी जाना जाता है। जनजाति समाज ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है, जहॉ बुनियादी सुविधाओं की पहुचॅ न के बराबर है। आदिवासी समाज 21वीं शताब्दी में भी अपनी बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, शुद्ध जल, सड़क, पाठ्षाला, इत्यादि के लिए संघर्ष कर रही है। आदिवासी समाज आधुनिक वातावरण एवं षिक्षा व्यवस्था से वंचित है। इसका परिणाम यह है कि यह समाज आर्थिक एवं समाजिक अन्याय की समस्याओं से ग्रषित है। समाज में अस्पृष्यता की भावना, कुपोषण, गौरवपूर्ण जीवन, सांस्कृतिक अलगांव, षिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ, नक्सल समस्या इत्यादि अनेकों समाजिक एवं आर्थिक अन्यायपूर्ण दषा की सामना कर रहीं हैं।

शोध पत्र में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के समाजिक एवं आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए भारतीय संविधान तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006, में जो प्रावधान है, उसका संक्षिप्त अध्ययन करना है, तथा वह विधि अपने उद्देष्यों की पूर्ति करने में कहां तक सार्थक सिद्ध हुआ है, की समिक्षा कर सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध पत्र द्वितीयक तथ्यों के अध्ययन पर आधारित है।

भारतीय संविधान में संरक्षण :

संविधान का उद्देषिका भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान किया है। साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा बढाने के लिए दृंढ संकल्प है। इस प्रकार भारतीय संविधान समाज के सभी वर्गो को समाजिक –आर्थिक न्याय सुनिष्चित करने के लिए कटिबद्ध है। इस संदर्भ में संविधान में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सेवा की सुरक्षा प्रदान की है। संविधान यह सुरक्षा मौलिक अधिकार के माध्यम से तथा राज्य के नीतिनिर्देषक तत्वों द्वारा राज्यों को विषेष निर्देष प्रदान कर एवं संविधान के अन्य अध्यायों में अनुसूचित जनजातियों हेतु विषेष प्रावधान कर संरक्षण प्रदान करती है।

सामाजिक संरक्षण

भारत मे रहने वाले सभी व्यक्तियों को 'विधि के समक्ष समता 'तथा ' विधियों के समान संरक्षण' प्राप्त है (अनु. 14), अर्थात राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा, साथ ही इन आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग केलिए समर्पित कुँआ ,तालाब, स्नानघाटों, सड़को और सार्वजनिक समागम के

* सहा0 प्राध्यापक, विधि, रा0 गांधी शास0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

उपयोग करने केलिए निर्योग्य नहीं समझा जायेगा। (अनु0- 15 (1) (2)) इन अनुच्छेदो द्वारा संविधान समाज मे व्याप्त को समाप्त करने की उद्देश्य रखती है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रति सामाजिक बुराईयों को करती है।

के प्रथम संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़कर राज्य को यह शक्ति प्रदान किया गया है, कि वह अनुसूचित जातियों सूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

–17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा इसके किसी रुप में पालन को प्रतिषेध करता है।

इस व्यवहार को निषेध करने हेतु 1955 में 'अस्पृष्यता अपराध अधिनियम' बनाया जिसे 1967 में 'सिविल अधिकार संरक्षण 1955' कर दिया गया तथा अस्पृष्यता व्यवहार को दण्डनीय अपराध बनाते हुए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। जनजाति स्वभाव से सरल एवं सौम्य होतें हैं तथा इनमें शिक्षा का भी अभाव है। इस कारण मानव दुर्यव्यापार, वेगार, का शिकार होते रहें हैं। संविधान की **अनुच्छेद–23** में इन सभी व्यवहार को प्रतिषिद्ध किया गया है। यह प्रतिषेध न राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं।[1] संसद ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक इमन (संषोधन) अधिनियम,1986 पारित किया है । इस अधिनियम के अधीन मानव–दुर्व्यापार एक दण्डनीय अपराध हैं।

के **अनुच्छेद– 46** राज्य को यह कर्तव्य अधिरोपित करता है, कि 'राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विषिष्टतया अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के षिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विषेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षण करेगा।

एवं संस्कृति **का संरक्षण–**

चित जनजाति विशिष्ट भाषा एवं संस्कृति के लिएजाने जाते हैं। संविधान के **अनुच्छेद–29(1)** में इसे संरक्षण प्रदान किया है। अनुच्छेद के अनुसार ' भारत–क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी विशेषभाषा, लिपि या ति है, उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है।

हित वाद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है।

क संरक्षण:–

संविधान के **अनुच्छेद–16** लोक नियोजन के विषय में अवसर पे समता की बात करता है, अनुच्छेद के खण्ड (4) एवं के द्वारा राज्य को पिछडे हुए नागरिक जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है, कियों या पदों में आरक्षण करने की प्रावधान करती है, तथा प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति राज्य को दी गई है। सासी इलाकों में स्वतत्रंता पूर्व अंग्रेजों का शासन–प्रषासन लगभग नही था इन इलाकों को बहिष्कृत औश्र आषिंक बहिष्कृत श्रणी में रखा गया। आजादी के बाद संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में वर्गीकृत किया गया। इस अनुसूचि के माध्यम से र्गासियों के स्वषासन की व्यवस्था किया गया और इस हेतु ग्रामसभा की मान्यता दिया गया। ग्राम सभा को अपनी भाषा, ति, पहचान, रीति–रिवाज और बाजार व्यवस्था तय करने का अधिकार दिया गया। ग्राम सभा के साथ–साथ पंचायती राजं था को भी जोड़ा गया तथा दोनो को गांव के विकास की जिम्मेदारी मिली। ये गांव की प्रषासनिक व्यवस्था हुई। जिले के निक व्यवस्था करने के लिए जिला स्वषासी परिषद (डीएसी) को मान्यता दी। यह परिषद स्वायत्त है, और इसके पास वित्त भी प्रबंधन है। संविधान के **अनुच्छेद–275** में ट्राइबल सब–प्लान (टीएसपी) की व्यवस्था है, इसके तहत ऐसे क्षेत्रो के लिए से बजटीय आबंटन होता है जिसका प्रयोग आदिवासीयों के कल्याण तथा आर्थिक सामाजिक बेहतरी के लिए होता है।

भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों के विकास स्तर की बात करें तो यह 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 59.11 प्रतिशत है, जो राज्य साक्षरता दर से लगभग 11 प्रतिशत कम है। यदि गरीबी रेखा की बात करें तब इनमें 45.3 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, जो एक चिन्तनीय विषय है। छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या भी घट रही है। यदि हम आंकड़ा देखे तो 2001 की जनगणना के अनुपात में 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या में 1.18 फीसदी की कमी आई है। इसके पीछे जो कारण सामने आता है उसमें प्रमुख जंगल में बाहरी की दखल, खनिज संसाधनो का दोहन, विस्थापन और नक्सलवाद है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989

अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध सदैव क्रूर और अपमानजनक व्यवहार होता रहा है। कुछ क्रियायें जो जनजाति वर्ग के हित के विरुद्ध हैं, उसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 मे दण्डनीय अपराध बनाया गया है, परन्तु इसके अलावा अनेक क्रियायें शेष है जो उक्त विधि मे दण्डनीय नहीं है तथा जनजातियों के सामाजिक न्याय की सुरक्षा हेतु विशेष विधि की आवश्यकता थी, जो जनजाति वर्ग के विरुद्ध किए गए अपराधों को दण्डित करें। इस उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा 11 सितम्बर 1989 को यह अधिनियमित किया तथा 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की विशेषता है कि–

- यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दण्डित करता है।
- यह पीडितों को विषेष सुरक्षा और अधिकार देता है।
- यह अदलतो को स्थापित करता है, जिससे मामले तेजी से निपट सकें।
- यह अनुसूचित जनजातियो के सुरक्षा हेतु विषेष पुलिस स्टेशन की स्थापना का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराध जैसे – बलात रूप से अखादय या घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना या उन्हे अपमानित करने या क्षुब्ध करने की नीयत से कूड़ा–करकट, मल या मूत्र पशु का शव फेक देना, बल पूर्वक कपड़ा उतारना, मानव के सम्मान के विरुद्ध कार्य करना, गैर कानूनी ढगं से खेत या भूमि पर कब्जा कर लेना, बंधुआ मजदूरी के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना, गलत मतदान हेतु मजबूर करना, अपमानित करना, शील भंग करना, जल स्त्रोतों को गंदा करना, सार्वजनिक स्थानों के आने से रोकना, मकान या निवास स्थान छोडने से रोकना इत्यादि अनेको क्रियायें इस अधिनियम में दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत अपराध होने का तथा उसके निस्तारण की अध्ययन करें तब यह पाते है कि

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ वर्ष 2018 तक न्यायालय के समक्ष 1554 मामला रिपोर्ट किया गया। जिसमें 227 मामला में विचारण पूर्ण हुआ तथा निर्णय किया गया। निर्णय के अनुसार 78 मामले में दोष सिद्ध हुआ तथा 149 मामले में दोषमुक्ति का आदेश हुआ एवं 2018 अंततक 1327 मामले शेष लम्बित है। (एनुअल रिपोर्ट 2018–19 समाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार)
2. यदि केवल 2016 में इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ रिपोर्टिंग मामले की बात करे तब कुल–645 मामले पंजीकृत हुए जिसमें अनुसूचित जाति सम्बंधित–243 एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ–402 मामले पंजीकृत किये गये। (एनुअल रिपोर्ट 2018–19 समाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार)

यह सभी पंजीकृत अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत मामले के अतिरिक्त है।

...कृत आंकड़ो का अध्ययन करते हैं, तब पाते है कि अभी भी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ घटित अपराध में कमी नही तथा पंजीकृत मामले का निराकरण भी बहुत धीमी गति से दर्शित है। इसके पीछे कारण एनुअल रिपोर्ट 2018–19 ...याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार में दिखती है–

...अधिनियम 1989 के तहत छत्तीसगढ़ में खुलने वाली न्यायलय की संख्या मात्र–03 (तीन) है।

...अनुसूचित जाति/जनजाति पुलिस स्टेषन की संख्या मात्र–13 है।

...के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति को इस अधिनियम के प्रति विधिक जनजागरण करने की गति बहुत धीमी है।

...कार अधिनियम 2006

...से पहले वनों की भूमि को शीर्ष भूमि की दृष्टि से देखा जाता तथा वनों के वृहद भू–भागो को आरक्षित घोषित करके ...उनका अधिकार व्यवसायिक उपयोग हेतु होता था। वनों को आरक्षित घोषित करने की इस प्रक्रिया के कारण वनवासी ...(जनजातिय तथा अन्य) के परम्परागत अधिकारों का हनन् हुआ। स्वतंत्रता केबाद भी वनवासियों के सम्पत्ति के अधिकारों ...व्याख्या के न होने की वजह से वनों पर आश्रित, वनों में या उनके आस–पास रहने वाले परिवारों को अतिप्रमाणी तथा ...कब्जे वालों के रूप में देखा गया। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में भूमि एवं वन अधिकारों पर भयंकर विवाद हुआ है।

...जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार को मान्यता) अधिनियम–2006 द्वारा समुदायों की प्राकृतिक ...पर अधिकार थे कुछ मुद्दों के निपटारे का प्रयास किया गया है। जहां एक ओर इस अधिनियम को मूलतः स्थानीय ...को लाभान्वित करने वाले अधिनियम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बहुत से संरक्षणवादियों को इस अधिनियम से वन ...और भी हानि पहुचनें की भय है।

...यह अधिनियम सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारो को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ–साथ मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान ...। इसका अभिप्राय यह है, कि समुदायों का, उन वन संसाधनों पर जो उनकी जीविका हेतु जरूरी है। अधिकारों का दावा ...एवं सशक्तिकरण करेगा। यह अधिनियम असुरक्षित समूहों जैसे कि आदिम जनजाति समूहों खानोबदोष एवं गड़रिया ...के अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करता है। जिनके अधिकारों की अब तक सुरक्षा नही की गई। इस अधिनियम के ...जाने वाले अधिकार संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है–

1. 13 दिसम्बर 2005 से पहले वन भूमि पर काबिज लोगों का उस भूमि पर अधिकार और पट्टा जो पति–पत्नि दोनो के नाम पर होगा, दिया जायेगा।
2. वन निवासी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निवास या जीविकायापन हेतु स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामुहिक वन भूमि को जोतने और उसमें रहने का अधिकार है।
3. लघु वनोपज का संग्रहण, उसका उपयोग करने और बेचने का अधिकार होगा।
4. जंगल में मवेषी चराने का अधिकार।
5. जंगल क्षेत्र में पानी, सिचाई, मछली पालन एवं पानी से अन्य उपज प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. जहां वन भूमि से लोगों को अवैधानिक तरीके से बिना पुनर्वास के तहत दिया गया है, वहां उसी जमीन पर या दूसरी जमीन पुनर्वास का अधिकार होगा।
7. कोई ऐसा पारम्परिक अधिकार का संरक्षण जिसका वनवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपयोग किया जा रहा है, परन्तु इसमें जंगली जानवरों के षिकार करने का अधिकार नहीं होगा।
8. जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संम्बधित बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार होगा। इत्यादि

अधिनियम की धारा 5 वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य अधिरोपित करता है, कि

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना ,

(ख) यह सुनिष्चित करना कि–

1. जलागम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनषील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है,
2. अनुसूचित जनजातियॉ और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाषकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है।
3. ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव गलत है, ग्राम सभा में लिए गए विनिष्चयों का पालन किया जाता है।

अधिनियम के तहत ग्रामसभा गठित कर इस अधिनियम में के प्रावधानों को लागू किया जाना है।

समीक्षा–

सी0एफ0आर0– एल0ए0, जनसंगठनों और गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है, जिसने इस कानून के 10 वर्ष के क्रियान्वयन पर एक लेखा–जोखा (प्रॉमिसेस एण्ड परफॉमेंस) प्रकाषित किया था, जिसमें यह बताया गया कि इन 10 वर्षों में इस कानून में निहित संभावनाओं का मात्र 3% ही हासिल किया जा सका है। इस तरह आज इस कानून के प्रदर्षन का आंलकन करते हैं, तब केवल निराषा ही हांथ लगती है, इसके पीछे निम्नलिखित कारण सामने आते हैं:–

(1)– अधिनियम पारित कर भारतीय संसद ने बनवासी नागरिकों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को तो स्वीकार किया, पर यह अन्याय कैसे और किसने किया, इन सवालों पर मौन रही। इस अन्याय के लिए जिम्मेदार रहे व्यवस्था, एजेंसियॉ और विधान की जवाबदेही तय नहीं की गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस तरह की एजेंसियां आज भी इस अधिनियम को असफल करने में लगे हुए हैं।

(2)– आज भी जंगल, 'नैसर्गिक जंगल' के स्थान पर 'कृत्रिम और व्यावसायिक जंगल' के अवधारणा में जकड़ी है।

(3)– सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के प्रचार प्रसार में बहुत सक्रियता नहीं दिखाई है।

(4)– वर्षों से रह रहे या खेती कर रहे आदिवासी समुदाय को स्थाई पट्टा नहीं दिया गया है।

(5)– आदिवासियों को अपने ही जंगल और जमीन से करोड़ो की संख्या में विस्थापित किया गया है।

सुझाव– उपर्युक्त अधिनियमों के उद्देष्यों की सफलता की प्राप्ति हेतु निम्न सुझावों पर विचार किया जाना अपेक्षित जान पड रहा है–

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगी संस्था को पारदर्षी एवं जवाबदेही बनाने की आवष्यकता है।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 को सफल बनाने हेतु जनसंख्या के अनुपात में विषेष न्यायालय, विषेष पुलिस स्टेषन, विषेष अभियोजन अधिकारी का उपलब्धता जरूरी है, जिससे त्वरित न्याय हो सके। साथ ही इस अधिनियम के बारे में समाज में विधिक जागरूकता प्रसारित करने की आवष्यकता है।
3. 5वीं अनुसूची के सफलता हेतु जिला स्वषासी परिषद (डीएसी) की मान्यता प्रदान कर सषक्त करने की आवष्यकता है।
4. वन अधिकार अधिनियम की सफलता हेतु आवष्यक है कि

(क) वन विभाग के सबसे निचले पायदान के डरे हुए नागरिकों को यह विश्वास दिलाना कि यह जंगल आपका है और आपको ही इसका प्रबंधन, संरक्षण व पुनरुत्पादन करना है, जैसा आप सदियों से करते आए हैं।

(ख) वनवासियों के साथ अन्याय करने वाले एजेंसियों को चिन्हांकित कर उसका जवाबदेही तय किया जाना आवष्यक है।

(ग) इस अधिनियम को लागू किए जाने का उद्देष्य और महत्व को जनजागरण के द्वारा वनवासी भाईयों तक पहुंचाया जाना आवष्यक है, ताकि इस अधिनियम के लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकें।

(घ) जंगल के 'वन' की कृत्रिम व व्यावसायिक अवधारणा से मुक्त कर उसके मौलिक एवं 'नैसर्गिक जंगल' की अवधारणा को स्थापित करना आवष्यक है।

(ड़) वर्षों से रह रहे या खेती कर रहे आदिवासी परिवार को त्वरित कार्यवाही कर व्यापक मात्रा में स्थाई पट्टा दिया जाय।

(च)– राज्य सरकार को विस्थापन के समस्या का तत्काल समाधान निकाल कर विस्थापित परिवार को विस्थापन के जगह से नजदीक किसी स्थान पर निवासित किया जाय, ताकि वह पूर्व के सभ्यता, संस्कृति एवं वातावरण को महसूस कर सके।

उपर्युक्त संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक स्तर में सुधार दिखती है, परन्तु यह स्तर अभी भी सामान्य स्तर से बहुत नीचे है। अनुसूचित जनजाति समाज आज भी मुख्य धारा से दूर है। इनको मुख्य धारा में जोड़ना तथा उनके अधिकारों को प्रदान करना अति आवष्यक है। इसके लिए विधिक प्रावधानों के साथ–साथ सामजिक स्तर पर जागरूक करने की आवष्यकता है, ताकि इन्हे अपने अधिकारों का ज्ञान हो तथा उसे सक्षम ढंग से परिवर्तित करा सके।

-ग्रंथ सूची

1. पाण्डेय, डॉ. जय नारायन, भारत का संविधान, 2008, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद।
2. मिश्रा, डॉ. अनिल कुमार, दण्डकारण्य, 2018, आंखर (ऑनलाईल पब्लिकेषन) जगदलपुर।
3. शुक्ला, हीरालाल, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, 2007, बी.आर.प्रकाषन दिल्ली।
4. गोस्वामी, दीपक, संविधान ने अदिवासियों के संरक्षण का जिम्मा सरकार को सौपा था, लेकिन वो उन्हे खत्म कर रही है, द वायर, फेवररी 15,2019.
5. एनुअल रिपोर्ट 2018–19 समाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार
6. बेयर एक्ट–अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989
7. बेयर एक्ट–अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार को मान्यता) अधिनियम–2006

——oo——